1	2	3	4
15.	R.C. 9/92—DHN	11,50,708	..
16.	R.C. 8/92—SLC	2.10,000	5,00,000
17.	R.C. 9/92—SLC	2,50,000	2,50,000
18.	R.C. 31/92WCal.	3,10,000	10,90,000
19.	R.C. 42/92DLI.	..	..
20.	R.C. 43/92 DLI.	3,94,500	10,60,000
21.	R.C. 44/92DLI.	14,48,289	26,67,705
	TOTAL :	82,82,384	1,06,83,497

रेजीडैन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा राजनैतिक और धार्मिक कार्यकलापों में भाग लिया जाना

4807 मौलाना आबेदुल्ला खान आजमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एशोसिएशन को राजनैतिक और धार्मिक कार्यकलापों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाल ही में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए लोक सभा के चुनाव में अनेक रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों ने खुलकर भाग लिया और अधिकतर एशोसिएशन अपने आपको धार्मिक कार्यकलापों में भी अन्तग्रस्त कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण संघ, जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं, उनसे विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श विधान को अपनाए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस आदर्श विधान के पैरा 5 के अनुसार कोई संघ किसी राजनीतिक अथवा सरकार विरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रुप से भाग नहीं लेगा। ऐसे संघ का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक मेलमिलाप को बढ़ावा देना है। सरकार की जानकारी में ऐसा कोई आवासीय कल्याण संघ नहीं है जिसने हाल ही में साम्प्रदायिक अथवा राजनीतिक स्वरूप की गतिविधियों में भाग लिया हो।

Adverse remarks in the confidential report

4808. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that All India Serivce Confidential Report Rules provide that if the Reporting Authority makes the entry in the Confidential Reports of the officers without due care and attention, Government shall enter suitable remarks in the C.R of the Reporting Authority to this effect;

(b) the number of cases in the last three years, where the adverse remarks have been made by the Reporting Officer, in respect of the IAS Officers, have been expunged;

(c) whetner in the cases where the adverse remarks have been expunged any entry to this effect has been sub-